



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, निवारी



आवेदन क्रमांक: 172678

आवेदन का प्रकार : गैरप्राथमिक माध्यम

मान्यता दिनांक - 25/02/2025

प्रति,

अध्यक्ष,
Satna Diocesan Society
Christ Jyoti School
NIWARI, विहारी, मध्यप्रदेश

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विभाग, 2011 के नियम 11 के अन्तर्गत (4) के अन्तर्गत स्कुल के लिए मान्यता प्रस्ताव पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 20/01/2025 तथा इस संबंध में स्कुल से पद्यावली पर व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - Christ Jyoti School स्कुल आईडी -FS24926 रिकार्ड-NIWARI को स्कुल का प्रकाश प्राथमिक सह माध्यमिक, विद्यालय का माध्यम अंग्रेजी कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2025 से 31/03/2028 तक कार्यालय के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई मांगना किसी भी रूप में विचारित नहीं होगी।
- स्कुल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विभाग, 2011 के नियमों का पालन करेगा।
- स्कुल, अपने पदोत की सीमा के अंतर्गत स्कुल तथा कारागार वर्ग के बालकों को स्कुल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कुल यदि सराफता प्राप्त स्कुल है तो इसके प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्ति व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्ति सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
- वर्ग 3 में विहित बालकों के लिए स्कुल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतियुक्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतियुक्ति प्राप्त करने के लिए स्कुल को पृथक् से बैंक खाता उल्लेख करना होगा।
- सोमावटी स्कुल कोई भी कैलिब्रेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिपक्षक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कुल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा।
(क) अनुप के स्कुल के आधार में;
(ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कार्यावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश पाया गया है;
(ग) धर्म, जाति या कुलवंश, जनस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कुल सुविधित करेगा कि:-
(क) प्रत्येक स्कुल में किसी प्रवेशित बालक को स्कुल में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक निकाशित नहीं किया जाएगा।
(ख) प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षागत प्रवेश की जाएगी।
(ग) किसी बालक को शारीरिक लक्ष्य या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
(घ) नियम 19 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
(ङ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विद्यालय/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सम्पादित किया जाएगा।
(च) अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक हो कार्यरत रहे जायें। स्कुल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंडों के पूर्ति करते हुए मान्यता अवधि तक शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था करार रखी जाएगी।
(छ) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट उम्मेदवारों का पालन करना होगा।
(ज) प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक स्वं भुक्त नहीं लेंगे/लेगी।
(झ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अन्तर्गत निर्दिष्ट सन्निधियों के अनुसार अति सुखा की व्यवस्था स्थापित हो।

(क) अधिकारी बच्चों से प्रभावी की जाने वाली फीस ऐसी गति में अधिवृत्ति की जाए कि आनुकूल रूप से शिक्षा केन्द्र द्वारा वार्षिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्दिष्ट की जाए तथा इसकी सूचना वार्षिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। मध्यप्रदेश जिले विद्यालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढोतरी की जा सकती है।

- स्कुल सुविधित प्राथमिकी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का अनुसरण करेगा।
- स्कुल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कुल में उल्लेख सुविधाओं के अनुसार में बालकों का मान्यता करेगा।
- स्कुल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट स्कुल के धनक एवं मापदंड बनाए रखे जाएंगे। अतिरिक्त निरीक्षण के समय स्कुल में उल्लेख सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

1. स्कुल के धनक की विधि	स्वयं या भवन
2. स्कुल परिसर का क्षेत्रफल	121201
3. कुल निर्मित क्षेत्रफल	10570
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	110453
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	37
6. प्रधानाध्यापक कक्षा-सहा-कक्षा-तैय-सह-मोटर कक्षा	9
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	हैं
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	हैं
9. वायुमयन धोवन के लिए कोई घर	2
10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	हैं
11. पढ़ा-नाइटन सामग्री	हैं
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	हैं
13. पुनःकारण की उल्लेख्यता	हैं
14. शिक्षकों की संख्या	21

- लेटेस्ट संपीकृत किए जाएंगे तथा वार्षिक पुनःअपडेटेड नदर सामग्री न होने और अधिक लेखा विवरण विवरणों के अनुसार वैधान प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयक को भेजी जाएगी।
- आपके स्कुल को आवृत्ति मान्यता कोड नम्बर 24926 है। इस कार्यालय के प्राप्त करीबी भी पदराफत में यह कोड नम्बर संदर्भित करे जायें।
- स्कुल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कुल शिक्षा विभाग/उप-विभाग जिला केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र/जिला समन्वयक पर अपेक्षित की जाए, और स्कुल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुरोधों का पालन करेगा, जैसा कि स्कुल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अवकाश मान्यता की शर्तों की विस्तार पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए।
- यदि कोई शाखा उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उल्लेख करती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सड़क द्वारा क्या विहित सुरक्षा सन्निधियों का पालन हो रहा है। शाखा को स्कुल को में महिला कंडक्टर की उल्लेख्यता के संबंध में समझ-अवगत पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- सोमावटी/न्याय, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

Digitally signed by Phool Singh Dinkar
Date: 2025.02.25 14:01:49 +05:30
Reason: RTE school recognition.
Location:

प्रवर्दीय,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से सत्यापित है, भौतिक सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है।